जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित
सर्किलवार विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई

जयपुर, 30 जनवरी। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने एवं लॉस रिडक्सन प्रोग्राम के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना नही करने वाले कर्मियों पर शीघ्र ही सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने सोमवार को विद्युत भवन में आयोजित जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लॉस रिडक्शन प्रोग्राम सहित विभिन्न योजनाओं की सर्किलवार प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट स्पष्ट रुप से कहा कि कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकरियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पिछले वर्ष की तुलना में लॉस बढने से डिस्कॉम को जितना नुकसान हुआ है उसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन से की जाएगी। इसके बावजूद भी यदि कार्य प्रणाली में सुधार नही होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति देने की भी कार्यवाही की जाएगी। की जा सकती है।

श्री पाण्डे ने कहा कि विजीलेन्स जांच के दौरान पकड़े गए बिजली चोरी के प्रकरणों में कनेक्शन काटने की कार्यवाही नही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना के तहत निर्धारित कार्य सख्ती से किए जाए तथा कार्य समाप्ती पर सत्यापन किया जावे कि फीडर लॉस 15 प्रतिशत आने के साथ साथ ट्रिपिंग रेट 3 प्रतिशत से नीचे आ गई है एवं ट्रांसफार्मर जलने की दर 2 प्रतिशत से नीचे हो गई है। वीसीआर भरने से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने के मुददे पर अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने कहा कि विजीलेन्स जांच में वीसीआर भर कर उपभोक्ताओं को परेशान करने हेतु हथियार नही बनाया जाए। साथ ही लॉस रिडक्शन के नाम पर उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित नही होनी चाहिए।

ऊर्जा सलाहकार श्री आर. जी. गुप्ता ने कहा कि अधिकारी यह ध्यान रखे कि लॉस रिडक्शन उपभोक्ता संतुष्टि की कीमत पर नही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉस रिडक्शन के कार्य को गम्भीरता से करने के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति की जा रही है। लॉस रिडक्शन प्रोग्राम के तहत जिन फीडरों पर सुधार कार्य पूरा हो गया है और लॉस 15 प्रतिशत से कम हो गए हैं उस फीडर के फीडर इन्चार्ज, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से निर्धारित फार्मेट में हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने विभिन्न योजनाओं की सर्किलवार प्रगति की समीक्षा करते हुए खराब मीटरों को बदलने के कार्य ही धीमी प्रगति पर सर्किल अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि तीन दिन में खराब मीटरों की संख्या और उनको बदलने का समय सहित लिस्ट मुख्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा खराब मीटरों की वजह से दी जाने वाली छूट की राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाएगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अब केवल 2 माह का समय बचा है इस समय में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लॉस कम करने के साथ ही राजस्व वसूली पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। फीडर पर मासिक ट्रिपिंग की संख्या 3 से अधिक नही हो व ट्रांसफार्मर जलने की दर 2 प्रतिशत से कम लाई जानी चाहिए।

बैठक में निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, संभागीय मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, मुख्य लेखाधिकारी सहित सभी सर्किलों के अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित रहे।

.....

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 509/2017